

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

केवा पुत्र नगा जी, जाति- कुम्हार, निवासी-रोहुआ, तह. रेवदर, जिला-सिरौही

बनाम

प्रत्यर्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला- सिरौही
2. पटवारी, पटवार हल्का रोहुआ, तहसील- रेवदर
3. वणाराम पुत्र कानाराम जी, जाति-कुम्हार, निवासी-जीरावल, तह. रेवदर, जिला-सिरौही
4. प्रतापराम पुत्र कानाराम जी, जाति-कुम्हार, निवासी-जीरावल, तह. रेवदर, जिला-सिरौही
5. रमेश कुमार पुत्र कानाराम, जाति-कुम्हार, निवासी-जीरावल, तह. रेवदर, जिला-सिरौही

राजस्व अपील संख्या: 44/2021

“अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956”

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा, अपीलार्थी की ओर से
2. परोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक 29 अप्रैल, 2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम रोहुआ, पटवार हल्का रोहुआ के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2043 दिनांक 19.6.2018 से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को सम्मन की तामिल होने पर सुनवाई तिथि 24.1.2022 को परोकार सरकार एवं हल्का पटवारी, रोहुआ इस न्यायालय में उपस्थित हुये। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से परोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 3 से 5 को सम्मन की तामिल होने के बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 3 से 5 उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रत्यर्थी संख्या 3 से 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) प्रकरण में अपीलार्थी के अधिवक्ता व परोकार सरकार की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी संख्या 3 से 5 की माता श्रीमती कीरीदेवी पुत्री मना पत्नि कानाराम व उसके सहखातेदारों के नाम से ग्राम रोहुआ, पटवार हल्का रोहुआ के खाता संख्या 128 खसरा संख्या 48 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि आई हुई है। इस कृषि भूमि में अपीलार्थी केवा पुत्र नगा का 1/4 खातेदारी हक हिस्सा


.....पेज दो



अति. जिला कलक्टर
सिरौही (राज.)

व शेष 3/4 खातेदारी हक हिस्सा सहखातेदारान दीपाराम, भूराराम, दौलाराम, लादराम, देवाराम, जतनोदेवी, मरगीदेवी, कालाराम, केराराम, डायालाल, कपूराराम, धापूदेवी, कीरीदेवी, अगराराम, परखाराम, लालाराम, रामजीराम, हमीराराम, समूदेवी, पोसू, वेलाराम, गौलाराम व शंकर का था। उक्त सभी सहखातेदारों ने उनके नाम से दर्ज सम्पूर्ण कृषि भूमि को पंजीकृत विलेख हक त्याग (रिलीज डीड) दिनांक 23.11.2015 के द्वारा अपीलार्थी के हक में हक त्याग किया, तब से उक्त सम्पूर्ण कृषि का एकमात्र खातेदार अपीलार्थी है। अपीलार्थी ने उक्त पंजीकृत विलेख हक त्याग (रिलीज डीड) के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु वर्ष 2015 में प्रत्यर्थी संख्या-2 को पंजीकृत विलेख की प्रति प्रस्तुत कर नामान्तरकरण दर्ज करने का अनुरोध किया और प्रत्यर्थी संख्या-2 ने अपीलार्थी को आश्वासन दिया कि अपीलार्थी के नाम से नामान्तरकरण दर्ज हो जायेगा। जिस पर अपीलार्थी इस विश्वास में रहा कि उसके नाम से नामान्तरकरण दर्ज हो गया होगा। अपीलार्थी उक्त कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग प्रत्यर्थीगण की जानकारी में बतौर खातेदार एवं मालिक रूप में करता आ रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 3 से 5 की माता कीरी पुत्री मना पति कानाराम जी का स्वर्गवास होने पर प्रत्यर्थी संख्या 3 से 5 के नियत में खोटा आ जाने से प्रत्यर्थी संख्या 3 से 5 ने प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 से मेलमिलाप कर बाला बाला ही अपीलार्थी के पक्ष में हक त्याग की गई उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 48 में उनकी माता कीरीदेवी के स्थान पर अपने नाम से नामान्तरकरण संख्या 2043 दर्ज करवा कर तहसीलदार, रेवदर से स्वीकृत कर लिया। यह कि हल्का पटवारी, रोहुआ व भू अभिलेख निरीक्षक, मगरीवाडा ने पूर्ण जांच नहीं कर पंजीकृत हक त्याग विलेख के तथ्यों को छुपाते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3 से 5 के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करने में तथा प्रत्यर्थी तहसीलदार, रेवदर द्वारा अपीलार्थी नामान्तरकरण को स्वीकार करने के आदेश पारित करने में कानूनन भूल की गई है। श्रीमती कीरीदेवी पुत्री मना पति कानाराम द्वारा अपने खातेदारी हक हिस्से की भूमि को पंजीकृत हक त्याग विलेख के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में हक त्याग कर दिये जाने के बाद कीरीदेवी व उसके वारिसान का उक्त कृषि भूमि में कोई हक अधिकार नहीं रहा है। यह कि अपीलार्थी को प्रश्नगत नामान्तरकरण की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 18.10.2021 को किसान क्रेडिट कार्ड ऋण हेतु जमाबन्दी व भूमि प्रमाण पत्र की मांगनी करने पर हुई कि अपीलार्थी के पक्ष में उक्त पंजीकृत रिलीज डीड के आधार पर नामान्तरकरण दायर नहीं होकर कीरीदेवी पुत्री मना पति कानाराम की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी प्रत्यर्थी संख्या 3 से 5 के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज हो गया है, जिस पर अपीलार्थी ने प्रश्नगत नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर अन्दर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन करके अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 2043 दिनांक 19.6.2018 को निरस्त किया जावे एवं उक्त पंजीकृत हक त्याग (रिलीज डीड) के अनुसार अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार, रेवदर को निर्देशित किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि उक्त कृषि भूमि की सहखातेदार कीरीदेवी पुत्री मना की मृत्यु

....पेज तीन




अति. नि. क. स. स. स.
रिपोर्टर (राज.)

हो जाने पर उक्त कृषि भूमि में दर्ज कीरीदेवी के हक हिस्से की भूमि के संबंध में कीरीदेवी के वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण दायर होकर तहसीलदार, रेवदर द्वारा स्वीकृत किया गया है।

(4) हमने सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली व अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम रोहुआ, पटवार हल्का रोहुआ, तहसील- रेवदर के खाता संख्या 128 खसरा संख्या 48 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि की सहखातेदार कीरीदेवी पुत्री मना जी की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि में दर्ज कीरीदेवी के हक हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में हल्का पटवारी, रोहुआ द्वारा प्रत्यर्था संख्या 3 से 5 के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 2043 दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 19.6.2018 को प्रत्यर्था संख्या 3 से 5 के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। तहसीलदार, रेवदर द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 2043 दिनांक 19.6.2018 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15.11.2021 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 2043 दिनांक 19.6.2018 को निरस्त कराने हेतु यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ प्रत्यर्थागण के विरुद्ध अलग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थी ने प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 2043 दिनांक 19.6.2018 के संबंध में सर्वप्रथम दिनांक 18.10.2021 को जानकारी होना बताते हुए जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत करना अंकित किया है। अपीलार्थी ने धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसके विपरित तथ्यों का कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है एवं न ही धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत हुआ। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होना पाया जाने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर इस अपील प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 48 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि के 3/4 हक हिस्से के खातेदार दीपाराम व अन्य द्वारा अपीलार्थी केवा पुत्र नगा जी, जाति- कुम्हार, निवासी- रोहुआ के पक्ष में उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 48 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा में उनके दर्ज हक हिस्से की कृषि भूमि को पंजीकृत हक त्याग विलेख (रिलीज डीड) दिनांक 23.11.2015 (जो उप पंजीयक कार्यालय, मण्डार में पंजीकृत है) के द्वारा हक त्याग किया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 48 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा के 3/4 हक हिस्से के खातेदार दीपाराम व अन्य द्वारा उनके हक हिस्से की कृषि भूमि को पंजीकृत हक त्याग विलेख (रिलीज डीड) दिनांक 23.11.2015 के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में हक त्याग कर दिये जाने से पंजीकृत हक


....पेज चार



d
जिला कलेक्टर
जयपुर (राज.)

4. त्याग विलेख दिनांक 23.11.2015 के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण दायर किया जाना चाहिये था, लेकिन उक्त पंजीकृत हक त्याग विलेख दिनांक 23.11.2015 के अनुसार अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण दायर नहीं किया गया एवं उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 48 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा के सह खातेदार कीरीदेवी पुत्री मनाजी की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि में कीरीदेवी पुत्री मनाजी के दर्ज हक हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में हल्का पटवारी, रोहुआ द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 ता 5 के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 2043 दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 19.6.2018 को स्वीकृत किया गया है, वह विधि अनुरूप नहीं है। उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 48 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा के 3/4 हक हिस्से के खातेदार दीपाराम व अन्य द्वारा उक्त कृषि भूमि को पंजीकृत हक त्याग विलेख दिनांक 23.11.2015 के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में हक त्याग कर दिये जाने के बाद इस कृषि भूमि में दीपाराम व अन्य तथा मृतक कीरीदेवी के वारिसान का कोई हक अधिकार नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, रेवदर को प्रकरण में जांच कर उक्त पंजीकृत हक त्याग विलेख दिनांक 23.11.2015 के अनुसार पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम रोहुआ, पटवार हल्का रोहुआ के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2043 दिनांक 19.6.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, रेवदर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में जांच कर पंजीकृत हक त्याग विलेख दिनांक 23.11.2015 के अनुसार पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।



(क.आर.खौड़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिकरोही